

Form No.III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

App - A  
Crim - I

## उपरखण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक देसूरी (पाली)

ममता पुजा मांगीलाल

बनाम दरगाराम नोरा

आपवाद

किस्म मुकदमा 88, 89, 188, 92 (A) नम्बर 35/2021

सन् 2021

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 (A)

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलज जज


नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामिल  
में जारी हुए

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
---------------	-----------------------------------

13/5/2022

पत्रावली आज पेश है।  
 पत्रावली में अधिवक्ता फिरोज खां मय  
 उर्वरता-पत्रा बाद अन्तर्गत द्वारा 88, 89, 188,  
 बालूखाख कारतकारी अधिनियम उर्वरता-पत्रा  
 खास बाद विद्रोवल करके बाबर मय वादीनी  
 के हस्ताक्षर युक्त उर्वरता-पत्रा पेश किया। जिसके  
 अन्तर्गत कराया कि गांव बालपुरा के खसखस  
 खसखस 328, 329 का विक्रय बिलेख दिनांक  
 15/09/2012 को निरबाधित विक्रय बिलेख पूर्ण  
 रही है। तब्या बाद उस्तुत करके पूर्ण तब्यो  
 की जानकारी नही हो सकी थी। बर्तमान में  
 सम्युक्त तब्यो और वास्तविकता की जानकारी  
 होने से बाद को मे वादीनी आगे नही चलाने  
 चाहती है। अतः उर्वरता-पत्रा रबीकार फरमान  
 जाकर उर्वरता वादी की ओर से उस्तुत बाद  
 जरिये विद्रोवल खारीज करके के आदेश उदा  
 करावे।

हमारे उपरिखत अधिवक्ता श्री फिरोज खां  
 को खुना तब्या वादीगण अधिवक्ता की इस्त  
 हुआ अन्तर्गत वादीनी के उर्वरता-पत्रा खास  
 बाद विद्रोवल को रबीकार किया जाकर बाद  
 विद्रोवल किये जाने का आदेश उदाच किया जाग है।  
 बाद वादीनी जरिये विद्रोवल खारीज किया  
 जात है। निर्णय सरे इजलास खुनाया  
 गया। पत्रावली फे पल मुगल डोकल तम्बर  
 से कम है।

  
 सहायक कलेक्टर  
 (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अधिवक्ता  
 फिरोज खां